



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 419| नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 22, 2012/श्रावण 31, 1934  
No. 419| NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 22, 2012/SHRAVANA 31, 1934

गृह मंत्रालय

(स्वापक नियंत्रण ब्यूरो)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2012

सा.का.नि. 645(अ).—केन्द्रीय सरकार, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, (ज्येष्ठ निजी सचिव) भर्ती नियम, 2008 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, एतद्वारा गृह मंत्रालय के अधीन स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में ज्येष्ठ निजी सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, ज्येष्ठ निजी सचिव (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा अन्य अर्हताएं, आदि.**—पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ज्येष्ठ निजी सचिव	01* (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ख राजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड -2, रू. 9,300-34800/- (ग्रेड वेतन रू. 4800/-)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शिक्षा प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं			परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता		
(8)			(9)	(10)		
लागू नहीं होता			लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा		
प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।						
(11)						

प्रोन्नति :

वेतन बैंड -2 में 9,300-34800/- रू. और ग्रेड वेतन 4600/- रू. के वेतनमान में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का ऐसा निजी सचिव जिसने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण :

जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी:-

(i) जिन्होंने मूल विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ;  
या

(ii) जिन्होंने मूल विभाग में वेतन बैंड -2, में 9,300-34800/- रू. जमा ग्रेड वेतन 4600/- रू. के वेतनमान में निजी सचिव की श्रेणी में दो वर्ष सेवा की है।

टिप्पण :- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए आयु सीमा आवेदनों के प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

प्रोन्नति पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1. उप महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (मुख्यालय) - अध्यक्ष
2. उप निदेशक ( प्रशासन), स्वापक नियंत्रण ब्यूरो - सदस्य
3. उप सचिव, गृह मंत्रालय - सदस्य

[फा. सं. I. 12020/62/2010-एन.सी.बी.]

एम. गोपाल रेड्डी, संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Narcotics Control Bureau)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2012

**G.S.R. 645(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Home Affairs, Narcotics Control Bureau, (Senior Private Secretary ) Recruitment Rules, 2008, except as respects and things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Private Secretary, in the Narcotics Control Bureau, Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement** – (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Narcotics Control Bureau, Senior Private Secretary (Group 'B', posts), Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and pay band and grade pay or pay scale:-** The number of the said post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of Recruitment, age limit and other qualifications, etc.**- The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
4. **Disqualification:-** No person
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

Shall be eligible or appointment to the said posts.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax:-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving:-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, the Schedule Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the Orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of the post.	Number of posts.	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay scale.	Whether Selection post or Non-Selection post.	Age limit for Direct Recruits	Educational and other qualification required for direct recruitment.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Senior Private Secretary</b>	<b>01*</b>  *Subject to variation dependent on work load.	General Central Services Group 'B' Gazetted Ministerial.	Pay Band - 2 Rs. 9300-34800/- plus Grade Pay Rs. 4800/-	Selection	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.

3170 GI/12-2

Period of probation, if any	Method of recruitment or whether by direct or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by Promotion or Absorption or deputation, grades from which promotion or deputation to be made	If a DPC exists what is its composition.	Circumstance in which UPSC to be consulted in making recruitment.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not Applicable	By promotion failing which by deputation.	<p><b>Promotion:</b> Private Secretary in the Narcotics Control Bureau in the Pay Band -2 in the Pay Scale of Rs.9300-34,800/- with Grade Pay of Rs.4600/- with two years of regular service in the Grade.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for Promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next Higher Grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers under the Central Government:-</p>	<p>Departmental promotion Committee for considering promotion consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deputy Director General, Narcotics Control Bureau (Hqrs.) <b>-Chairman</b></li> <li>2. Deputy Director (Admn.), Narcotics Control Bureau <b>-Member</b></li> <li>3. Deputy Secretary- Ministry of Home Affairs <b>- Member</b></li> </ol>	<p>Consultation with UPSC necessary.</p>

	<p>i) holding analogous posts on regular basis;</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>ii) with two years service in the Private Secretary Grade of Pay Band - 2 in the Pay Scale of Rs.9300-34,800/- plus Grade Pay of Rs.4600/- in the parent department.</p>	
	<p><b>Note:</b> The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>(Period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre Post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)</p>	

[F.No. I. 12020/62/2010-NCB]

M. GOPAL REDDY, Jr. Secy.